(... को पेशी)

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

6/6/2018- अप्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ 26/6/2018 को पेश हो।

26/6/2018- अप्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित बहस प्रार्थनापत्र पर सुनी गई। वकील प्रार्थीया का कथन है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे व प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित फरमावें। बहस में वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा सुनवाई नियमित की जा रही है। प्रकरण प्रारम्भ की बहस में नियत था। इससे पूर्व स्वयं वादीया के अधिवक्ता द्वारा प्रा०पत्र के जवाब हेतु अवसर लिए जाकर प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण का त्वरित निस्तारण का प्रयास किया परन्तु वादीया/प्रार्थीया द्वारा अनावश्यक न्यायालय पर न्याय नहीं मिलने का गलत आरोप किया है फिर भी न्यायालय उचित समझे तो प्रकरण को गुलाबपुरा के अतिरिक्त अन्य किसी न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया जावे।

उभयपक्ष की बहस के तथ्यों एवं स्वयं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी के अनुसार प्रकरण को नैसर्गिक एवं प्राकृतिक सिद्धान्तों की दृष्टि से

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

(3)

पक्षकारान को समय पर त्वरित एवं सुलभ न्याय मिल सके इसके लिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आसीन्द के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण वाद सं० 03/2011 अन्तर्गत धारा 88,-188-53 रा० टि०एक्ट उनवान चन्द्रकान्ता देवी पत्नि राम प्रसाद कलाल नि० आसीन्द बनाम जमना देवी पत्नि जगन्नाथ प्रसाद कलाल वगैरा निवासी आसीन्द को राजस्थान काश्तकारी अधि० की धारा 235 के प्रावधानानुसार अग्रीम सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल में स्थानान्तरित किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। आदेशानुसार तहरीर उपखण्ड अधिकारी आसीन्द एवं माण्डल को जारी हो। आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर सब्त रेकार्ड कम हो।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा